न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (केम्प भोपाल)

प्रकरण क्रमांक : R-466/PBR/13

मुजफ्फर अली अंसारी, आयु लगभग 40 वर्ष
आत्मज स्व.श्री नासिरूद्दीन अंसारी
कृषक ग्राम कारीतलाई, तह. गौहरगंज एवं
निवासी – बी–88, बारहदरी, बागदिलकुशा,
रायसेन रोड, भोपाल ....निगरानीकर्ता /अपीलार्थी

विरूद्ध

1. श्री मुमताज अंसारी, आयु लगभग 54 वर्ष
   आत्मज स्व.श्री नासिरूद्दीन अंसारी
   निवासी – म.नं. 264, मेन रोड, खुशबू शादी हॉल
   के सामने, देवकी नगर, बैरसिया रोड, भोपाल
2. श्री मंसूर अली अंसारी, आत्मज स्व.श्री नासिरूद्दीन अंसारी
   निवासी – 9–6, जेल बाग रोड, बादशाह भाई का मकान,
   मस्जिद के सामने, जिंसी, भोपाल ....प्रतिनिगरानीकर्तागण /प्रतिअपीलार्थीगण

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी

महोदय,

निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान अपर आयुक्त महोदय भोपाल के प्र.क्र. 189/अपील/10–11 में पारित आदेश दिनांक 19/11/2012 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 466–दो/13 जिला **रायसेन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7/4/17	आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के द्वारा प्रकरण कमांक 189/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 19–11–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–11–2012 के पालन में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 25–4–2013 को आदेश पारित कर मृतक भूमिस्वामी के सभी वारिसानों का फौती नामान्तरण स्वीकृत किया गया है । तहसीलदार के आदेश दिनांक 25–4–13 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–1–2014 को आदेश पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–7–14 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया है और आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 2735–पीबीआर/2014 दायर किया गया है, ऐसी स्थिति में यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त की जाती है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	